

पत्रावली वास्ते बहस आलेख ज्ञा.पत्र धारा -128 दिनांक
08/08/2023 को पेश है

S.O.O.

08/08/2023

पत्रावली पेश है। उक्त पक्षकारक उपस्थित वकील
जार्जी के ज्ञा.पत्र धारा -128 के बहस की। उक्त पक्ष
को चुना गया। जार्जी अपनी खलेदारी भूमि की फसल
-गद्दी करने का विवेक किया है। पत्रावली का
अवलोकन पर तबत किया गया। जार्जी का ज्ञा.पत्र
धारा -128 का स्वीकार योग्य पाया गया है। अतः
जार्जी का ज्ञा.पत्र धारा -128 का स्वीकार किया जाकर
विणय पृथक से लिखाया जाकर बुले न्यायालय की
इजलास में भुजाया गया। पत्रावली फंसल नुमा
होकर कम्बर से काम की जाकर शामिल कर हो।

संपन्न अधिकारी
शिवभाट

